I/228658/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–354/xi(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

संशोधित आदेश

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत परियोजना निदेशक, के स्थानान्तरण, कार्यालय आदेश संख्या–57/xi(1)/ 2024 दिनांक 31 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कमांक 02 एवं 03 पर अंकित स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए, श्री आनन्द सिंह को यथावत् रखते हुए, श्री संजीव कुमार राय, को अग्रिम आदेशों तक बाध्य प्रतीक्षा में रखा जाता है।

2– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3– इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 31.01.2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:35:22
(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल),
अपर सचिव।

I/228659/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–355 XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	सुश्री विम्मी जोशी	जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर	सहायक परियोजना निदेशक, चम्पावत	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 (ख) (छः) के अंतर्गत दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:36:11

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228660/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या– 358/XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती संगीता आर्य	सहायक परियोजना निदेशक, ऊधमसिंहनगर	जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7 (ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:36:38

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228660/2024

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228661/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–357/XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुधा तोमर	डी0आर0डी0ए0 प्रकोष्ठ, देहरादून	सहायक विकास आयुक्त पौड़ी,	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7 (ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:37:01
(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228661/2024

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228662/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या-358/XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील मोहन डोभाल	जिला विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	जिला विकास अधिकारी, चमोली	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7 (ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:37:31

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228664/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–559/XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान	परियोजना निदेशक, उत्तरकाशी	परियोजना निदेशक, टिहरी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–10 (ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:37:59

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228670/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–360XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक कुमार उपाध्याय	परियोजना निदेशक, टिहरी	परियोजना निदेशक, पौड़ी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:43:55

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228670/2024

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228671/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या-361 XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री आशीष पुनेठा	परियोजना निदेशक, अल्मोड़ा (हाल सम्बद्ध यू0आई0आर0डी0पी0आर0 रूद्रपुर)	परियोजना निदेशक, पिथौरागढ़	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:44:21

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228671/2024

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228672/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–362XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री अजय सिंह	परियोजना निदेशक, ऊधमसिंहनगर	परियोजना निदेशक, उत्तरकाशी	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:44:46
(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228672/2024

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल),
अपर सचिव।

I/228673/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1,
संख्या–363/XI(1)/2024
देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित जनपद से स्तम्भ–4 में इंगित जनपद में तैनात/स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0 एल0एम0, देहरादून	परियोजना निदेशक, रूद्रप्रयाग	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(ख) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत।

2– सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद/स्थान में योगदान कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित सम्बन्धित अधिकारी वार्षिक स्थानान्तरण की धारा–22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अमुक्त किया जान सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5– स्थानान्तरित अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।

6– नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Signed by Manuj Goyal
Date: 30-07-2024 11:45:07

(मनुज गोयल)
अपर सचिव।

I/228673/2024

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक/जिलाविकास अधिकारी/सहायक परियोजना निदेशक द्वारा आयुक्तालय।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्तालय।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनुज गोयल),
अपर सचिव।